

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 11.10.2025

डकैती का अपराध कारित करने वाले 03 नफर गैंगस्टर/अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में वथानाध्यक्ष कैम्पियरगंज के नेतृत्व में उ0नि0 आशीष चौधरी मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 618/2025 धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त 1. संदीप साहनी 2. संतोष मौर्या 3. गोलू को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा गिरोह बनाकर डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित किया जाता है जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर संदीप साहनी व गैंग के सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 618/2025 धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. संदीप साहनी पुत्र कोईल साहनी निवासी ग्राम करीमनगर टोला करमहिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. संतोष मौर्या पुत्र रामनवमी निवासी ग्राम करीमनगर टोला कोईरीपुरवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
3. गोलू पुत्र दुखी निवासी ग्राम हरनामपुर टोला डकहवा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/2025 धारा धारा 310(2), 317(2), 61(2) BNS थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 618/2025 धारा 2(ख)(i), 2(ख)(xi), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 आशीष चौधरी थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर
2. हे0का0 दीनदयाल थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर
3. का0 बच्चा यादव थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर
4. का0 धर्मेन्द्र सिंह यादव थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर
5. का0 अरविन्द कुमार थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर